

8



CGRP010117762025

दाण्डिक अपील क्र. 506/2025

वैरुद्ध छ०ग० शासन

1

न्यायालय -अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) रायपुर जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) (पीठासीन न्यायाधीश-श्री शांतनु कुमार देशलहरे)	
	आदेश दिनांक- 07/11/2025 दाण्डिक अपील क्रमांक-506/2025 अपराध क्रमांक-381 /2025 आरक्षी केन्द्र-उरला, रायपुर CNR No.-CGRP010117762025
अपीलार्थी/विधि के साथ संघर्षरत बालक	
अभियुक्त द्वारा	श्री संदीप अग्रवाल अधिवक्ता ।
उत्तरवादी/अभियोजन	छ.ग. राज्य द्वारा- आरक्षी केन्द्र-उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)
अभियोजन द्वारा	श्री लखन लाल देवांगन लोक अभियोजक

यह दाण्डिक अपील न्यायालय- प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड,
जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 591/2025 में
पारित आदेश दिनांक 17.10.2025 से उत्पन्न होकर प्रस्तुत।

// आदेश //

(आज दिनांक- 07/11/2025 को घोषित)



1. अपीलार्थी/विधि के साथ संघर्षरत किशोर ने यह दाण्डिक

(शांतनु कुमार देशलहरे)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.)
रायपुर (छ.ग.)





CGRP010117762025
वाण्डिक अपील क्र. 506/2025
नीलेश कुमार रात्रे विरुद्ध छ 0 ग 0 शासन

अपील धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संक्षेप में "अधिनियम") के अन्तर्गत, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, माना कैम्प, रायपुर के न्यायालय द्वारा थाना धरसीवा, जिला रायपुर के अपराध क्रमांक 381/2025, वाण्डिक प्रकरण क्रमांक 591/2025 (राज्य विरुद्ध [REDACTED]) में पारित आदेश दिनांक 17.10.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया है। आलोच्य आदेश के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, रायपुर ने अपीलार्थी/विधि के साथ संघर्षरत किशोर की ओर से प्रस्तुत धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम के जमानत पर छोड़े जाने संबंधी आवेदन निरस्त किया है।

02. इस अपील के निराकरण हेतु प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.10.2025 को आरक्षी केन्द्र उरला रायपुर में प्रार्थी के द्वारा उसके नाबालिग बालक के साथ विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार करने के संबंध में इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत किया कि दिनांक 07.10.2025 को वह दशगात्र कार्यक्रम में ग्राम महकम सोनाखान गया था और दिनांक 09.10.2025 के दोपहर 1.30 बजे वह वापस घर आया, तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसका लड़का दिनांक 09.10.2025 की सुबह 09.30 बजे उरला के चौखडिया तालाब में नहाने के लिये गया था और 10.30 बजे रोते-रोते घर आया और बताया कि अपीलार्थी उसे तालाब में अकेले नहाते देखकर वहीं मंदिर के पास ले गया और उसके पहने हुये चड्ढा को निकालकर उसके गुदाद्वार में अपने जिंघ को

(श्रीमान कुमार देशमुख)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.)
रायपुर (छ.ग.)

9



CGRP010117762025
दाण्डिक अपील क्र. 506/2025
नीलेश कुमार रात्रे विरुद्ध छ 0 ग 0 शासन

घुसाकर गलत काम किया, जिससे³ उसके लड़के के गुदाद्वार में दर्द हो रहा है और खून भी निकला है, जब उसने अपीलार्थी से पूछताछ किया, तब अपीलार्थी ने कुछ नहीं किया हूं कहते हुये प्रार्थी को गाली देने लगा। प्रार्थी की लिखित शिकायत पर अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 381/2025 के तहत धारा- 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। बालक का कथन दर्ज किया गया। उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने हेतु बालक से सहमति प्राप्त कर बालक का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, बालक का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा धारा 164 द.प्र.सं. का कथन लिया गया। अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र विचारण हेतु प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड माना कैम्प रायपुर छ.ग. के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, माना कैम्प रायपुर के समक्ष अपीलार्थी/विधि के साथ संघर्षरत किशोर की ओर से धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का आवेदन जमानत पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे इस आधार पर निरस्त किया गया कि बालक को जमानत का लाभ दिया जाता है तो बालक के द्वारा आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा साक्षियों को प्रभावित किये जाने की पूर्ण संभावना होने से प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है जिससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जावेगा। यदि बाल को इस स्तर



(नीलेश कुमार रात्रे)
(अपीलार्थी)
(छ.ग.)



CGRP010117762025

दाण्डिक अपील क्र. 506/2025

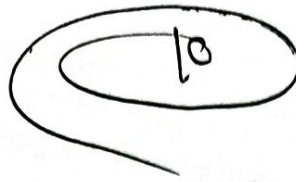
नीलेश कुमार रात्रे विरुद्ध छ 0 ग 0 शासन

पर जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसका मनोबल बढ़ने से ऐसे गंभीर अपराध की ओर अग्रसर होने का पूर्ण संभवना है जिससे उसके नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रकरण एवं सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार धारा 12 किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम के परंतुक में उल्लेखित निम्न परिस्थितियां कि बालक को जमानत का लाभ दिये जाने से उसके झूठ अपराधियों के संपर्क में आने की संभावना उसके नैतिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाने की संभावना एवं न्याय का उद्देश्य विफल हो जाने की संभावना पर विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार उपरोक्त प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार परिलक्षित होते हैं। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थिति, बालक के आचरण एवं सुधार हेतु और समय तक सुधार गृह में रखे जाने की आवश्यकता तथा वर्तमान समय में मादक पदार्थ परिवहन करने जैसे अपराधों की संख्या को देखते हुए बालक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया है।

04. अपील का आधार यह है कि अपीलार्थी/विधि के साथ संघर्षरत बालक निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 12(1) के अनुसार प्रत्येक संघर्षशील बालक को अपराध की प्रकृति चाहे जो भी हो जमानत प्रदान की जानी चाहिये जब तक यह ठोस आधार न हो कि उसकी रिहाई से किसी ज्ञात अपराधी से उसका संपर्क होगा या वह नैतिक, शारीरिक अथवा मानसिक खतरे में पड़ सकता है या न्याय के उद्देश्यों की

(नीलेश कुमार देशलहरे)
अपर न्यायाधीश (एफ.टी.सी.)
रायपुर (छ.प्र.)





CGRP010117762025
वाण्डिक अपील क्र. 506/2025
नीलेश कुमार रात्रे विरुद्ध छ 0 ग 0 शासन

5
विफलता होगी, केवल अपराध की गंभीरता को आधार मानकर जमानत से इंकार कराना धारा 12(1) की भावना के विपरित है। सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में यह कहीं नहीं कहा गया है कि बालक किसी अपराधी गिरोह से जुड़ा है या उसकी रिहाई से न्याय में बाधा आयेगी, केवल बालक की मनोदशा, निगरानी का अभाव के आधार पर सम्प्रेषण गृह में रखा जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अधिनियम का उद्देश्य सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। बालक गरीब परिवार से है और घटना जिस प्रकार से वर्णित की गयी है वह मनगढ़ंत एवं मिथ्या है और घटना की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से भी नहीं होती है। अतः बालक को परिवार के संरक्षण में रिहा कर परामर्श एवं निगरानी में रखा जा सकता है। बालक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी जांच या साक्षियों को प्रताड़ित, प्रलोभित या प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय के द्वारा आदेशित एवं निर्देशित सभी शर्तों का अक्षरशः पालन करने तत्पर है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 17.10.2025 को अपास्त कर अपीलार्थी को जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

05. उभयपक्ष का तर्क सुना गया, किशोर न्याय बोर्ड, माना कैम्प रायपुर छ.ग. द्वारा पारित आलोच्य आदेश, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक जांच रिपोर्ट एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया।

06. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 17.10.2025

(आ. 17.10.25)
अपर रात्रे न्यायाधीश
रायपुर



CGRP010117762025

दाण्डिक अपील क्र. 506/2025

नीलेश कुमार रात्रे विरुद्ध छ 0 ग 0 शासन

6
त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है?

- :निष्कर्ष के आधार:-

07. अपीलार्थी/विधि के साथ संघर्षरत् किशोर के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा पीड़िता के साथ कोई घटना कारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी दिनांक 13.10.2025 से बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध है। अतः आवेदन स्वीकार कर उसे जमानत का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक का तर्क है कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालक के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने का यह मामला है। अपीलार्थी का उचित देखरेख एवं संरक्षण बाल संप्रेक्षण गृह में ही होना संभव है। अतः अपील निरस्त किया जावे।

08. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के प्रावधान के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को तब नहीं छोड़ा जायेगा जब विश्वास करने का यह युक्तियुक्त आधार हो कि उसे छोड़े जाने से उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या वह नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जायेगा या उस व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। अब मुख्य प्रश्न यह है कि क्या हस्तगत प्रकरण में उक्त परिस्थितियां मौजूद है ?

09. अपीलार्थी/विधि के साथ संघर्षरत् किशोर के सामाजिक जांच प्रतिवेदन में मध्यम वर्गीय परिवार का है, जिसका प्रथम विधि विरुद्ध प्रकरण है। बालक मजदूरी का काम करता है और अपनी आय

(शांतनु कुमार रात्रे)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी. रात्रे)
रायपुर (छ.ग.)

11



CGRP010117762025
वाण्डिक अपील क्र. 506/2025
नीलेश कुमार रात्रे विरुद्ध छ 0 ग 0 शासन

का पूर्ण भाग अपने परिवार में प्रदान करता है, बालक की शिक्षा अधूरी है तथा असमय रोजगार में संलग्न है। ^{बालक} ~~बालक~~ का पारिवारिक निगरानी की आवश्यकता है, अपितु सामाजिक शिक्षा व परामर्श प्रदान किया जाना आवश्यक है। घटना का कारण बालक की दृष्टि से अनभिज्ञता को दर्शाता है। विधि के साथ संघर्षरत बालक को सुधार का एक मौका दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अन्य ज्ञात आपराधिक संसर्ग की संभावना नहीं है। प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

10. सामाजिक जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी/विधि के साथ संघर्षरत किशोर के विरुद्ध ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति उपलब्ध नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलार्थी को जमानत पर छोड़े जाने पर वह किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जायेगा या न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। अपीलार्थी दिनांक 13.10.2025 से बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध है। अन्य विधि विरुद्ध बालकों के साथ लंबे समय तक रहने से उसके मस्तिष्क में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित होना संभावित है। अतः उसे भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनने हेतु प्रेरित करने के लिए उसके माता-पिता/संरक्षक के अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाना उसके संस्था में निरुद्ध होने के बजाय ज्यादा उपयुक्त होगा।

11. उपरोक्त कारणों से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। परिणामतः अपील स्वीकार किया जाकर

7-11-25
(श्री)
अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (च. 977)



रजिस्ट्री अन्वय



CGRP010117762025

वाण्डिक अपील क्र. 506/2025

नीलेश कुमार रात्रे विरुद्ध छ 0 ग 0 शासन

आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी/विधि के साथ संघर्षरत्
किशोर की ओर से 25,000/-रुपये (अक्षरी पच्चीस हजार रुपये)
की सक्षम जमानत तथा उतनी ही राशि का उसकी ओर से उसके
माता या पिता या संरक्षक द्वारा किशोर न्याय बोर्ड माना कैम्प रायपुर
की संतुष्टि योग्य बंधपत्र इस शर्त के साथ प्रस्तुत किये जाने पर कि वह
अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, प्रत्येक पेशी तिथि पर उपस्थित
होगा तथा साक्षियों को प्रलोभित या प्रभावित नहीं करेगा,
अपीलार्थी/विधि के साथ संघर्षरत् किशोर को जमानत पर छोड़ा
जाकर उसके माता-पिता/संरक्षक को सुर्पुनामा पर सौंपा जाये।

12. आदेश की प्रति मय अभिलेख विचारण न्यायालय को
भेजा जावे। अपील प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार जमा
किया जावे।



आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,

(शांतनु कुमार देशलहरे)
अपर सत्र न्यायाधीश, एकुसी सी.
(शांतनु कुमार देशलहरे)
रायपुर जिला न्यायालय (छ.ग.)
अधीनस्थ न्यायाधीश (छ.ग.)

सत्य प्रतिनिधि

मुख्य न्यायाधीश
प्राधान जिला एवं सत्र न्यायालय
रायपुर (छ.ग.)

Application Received on
Application told to appeared on
Application appeared on
Application (with or without further correct particulars sent to Record Room) on
Application received from Record Room (with record or without record or without record for further or correct particulars) on
Application Given notice for further correct particulars on
Application Given notice for further correct particulars on
Copy ready on
Copy delivered or sent on
Court fees realised